आदेश

पीसीडीएफ मे समस्त कर्मचारियो/अधिकारियो को उपार्जित अवकाश खाते मे जमा अवकाश के समक्ष सेवा निवृत्ति के पश्चात अधिकतम 300 दिवस की सीमा तक अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय आदेशांक 4363 दिनांक 22.03.2018 द्वारा 01 अप्रैल 2018 तथा इसके पश्चात सेवा निवृत्त/मृतक कार्मिको को उपरोक्त भुगतान पीसीडीएफ मुख्यालय स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध मे आदेश दिनांक 22.03.2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि प्रत्येक वर्ष माह जनवरी मे वार्षिक आधार पर अवकाश वेतन अंशदान पीसीडीएफ मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा, को संशोधित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि समस्त दुग्ध संघो/पीसीडीएफ इकाईयो/परियोजनाओ एवं प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागो मे तैनात पीसीडीएफ के कार्मिक/प्रबन्धको का अप्रैल 2018 को देय वेतन से मासिक आधार पर वेतन भुगतान के समय अन्य सभी वैधानिक कटौतिया के भुगतान के साथ संबंधित माह के मूल वेतन एवं महंगाई वेतन की धनराशि का 11 प्रतिशत अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान का चेंक निर्गत किये जाने के उपरांत ही दुग्ध संघ द्वारा संबंधित कार्मिक के देय वेतन का भुगतान किया जायेगा।

इसके लिये संबंधित संस्था के प्रभारी (वित्त) एवं इकाई प्रभारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी होगे। प्रभारी वित्त (संबंधित संस्था) विगत माह मे भुगतान के समक्ष किये गये अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान की कर्मचारी वार रिपोर्ट एवं धनराशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रभारी वित्त, पीसीडीएफ मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा इसकी एक प्रति प्रभारी (स्थापना), (सबंधित संस्था) को उपलबध करायेगें। प्रभारी,वित्त (सबंधित संस्था) से अवकाश वेतन अंशदान की मुख्यालय को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति एवं धनराशि प्रेषण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही प्रभारी, स्थापना (सबंधित संस्था) द्वारा आगामी माह का वेतन बिल तैयार कर भुगतान हेतु संबंधित संस्था के वित्त अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

पीसीडीएफ मुख्यालय स्तर पर उक्त के कियान्वयन हेतु प्रबन्धक वित्त (सेवा निवृत्त पटल) एवं प्रबन्धक (प्रशासन/सेवा निवृत्त पटल) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो अपने अनुभाग प्रभारी के पर्यवेक्षण मे उक्त कार्यो के निष्पादन के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें। उपरोक्त आदेशांक 4363 दिनांक 22.03.2018 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। आदेशांक 4363 दिनांक 22.03.2018 के अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगें।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.2018 (वित्तीय वर्ष 2018–19) से लागू होगा।

ह0/–
(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष प्रशासनिक समिति

कार्यालय– प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, 29–पार्क रोड, लखनऊ।

पत्रांक 468/डी–1/पीईआर/एच/एफ0पी0/2018–19(उपा0अव0) दिनांक 10 ~~अप्रैल~~ मई 2018

प्रतिलिपिःसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पीसीडीएफ की समस्त इकाईयां/दुग्ध संघ/परियोजनाओ/प्रतिनियुक्ति विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अर्जित अवकाश अंशदान माह अप्रैल 2018 से मासिक आधार पर

मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे। उपरोक्त आदेश मे संदर्भित पूर्व आदेशांक 4363 दिनांक 22.03.2018 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित है।

2. प्रभारी वित्त, पीसीडीएफ मुख्यालय को इस आशय से कि सभी संस्थओ से अवकाश वेतन अंशदान भुगतान की रिपोर्ट प्राप्त कर जिन संस्थाओं द्वारा अवकाश वेतन अशदान का भुगतान पीसीडीएफ को नही भेजा गया है, उनके स्पष्ट रुप से दायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव प्रत्येक अगले माह के अंत तक महा प्रबन्धक (कार्मिक/प्रशासन) पीसीडीएफ को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. महाप्रबन्धक (कार्मिक/प्रशा0) को इस आशय से कि प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरांत अगले माह मे होने वाली अंतरिम प्रबन्ध कमेटी की बैठक मे अवकाश वेतन अंशदान भुगतान की विस्तृत रिपोर्ट एवं भुगतान न करने के लिये उत्तरदायी कार्मिको के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट अंतरिम प्रबन्ध कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(राज कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक

आदेश

पीसीडीएफ मे समस्त कर्मचारियो/अधिकारियो को उपार्जित अवकाश खाते मे जमा अवकाश के समक्ष सेवा निवृत्ति के पश्चात अधिकतम 300 दिवस की सीमा तक नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है। पूर्व मे आदेशांक 4129 दिनांक 11.09.2003 द्वारा सेवा निवृत्ति उपरांत कर्मचारियो/अधिकारियो को पीसीडीएफ स्तर से भुगतान किये जाने के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था को निर्बाध रुप से प्रभावी बनाये रखने हेतु वित्तीय कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था। आदेशान्तर्गत अवकाश वेतन अंशदान के रुप मे कार्मिको को पूरे वर्ष मे भुगतान किये गये मूल वेतन की धनराशि का 11प्रतिशत माह दिसम्बर के वेतन के आधार पर पीसीडीएफ इकाईयो/ दुग्ध संघो/ परियोजनाओ/ प्रतिनियुक्ति विभागो द्वारा पीसीडीएफ को प्रेषित किये जाने के निर्देश भी दिये गये थे,परंतु कतिपय कारणो से उक्त आदेश का पूर्ण रुपेण कियान्वयन नही हो सका और सेवा निवृत्त कार्मिको के अवकाश नकदीकरण का भुगतान संबंधित इकाईयों,जहां कर्मी सेवा निवृत्त हुआ है से करवाया जाता रहा है, परंतु इस प्रकिया मे कर्मियो के नगदीकरण भुगतान मे अनावश्यक विलम्ब होता है।

उक्त पर सम्यक विचारोपरांत एवं कर्मचारी/अधिकारी हित को दृष्टिगत रखते हुये एतद् द्वारा पुनः सभी इकाईयो/दुग्ध संघो/परियोजनाओ को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व आदेशांक 4129 दिनांक 11.09.2003 के अनुसार 11 प्रतिशत की दर से अवकाश वेतन अंशदान अप्रैल 2018 से पीसीडीएफ मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करे, ताकि सेवा निवृत्ति उपरांत कर्मचारियो/अधिकारियो को अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान पीसीडीएफ मुख्यालय स्तर से किया जा सके। समस्त दुग्ध संघो/पीसीडीएफ इकाईयो/ परियोजनाओ एवं प्रतिनियुक्ति विभागो द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान माह दिसम्बर 2018 के वेतन के आधार पर माह जनवरी 2019 मे भेजना सुनिश्चित किया जाये, तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी मे वार्षिक अंशदान प्रेषित किया जाये। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो प्रतिनियुक्त पर कार्यरत है/भविष्य मे प्रतिनियुक्ति पर जाते है,के मूल वेतन के 11 प्रतिशत की दर से अवकाश वेतन अंशदान भी संबंधित प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा पीसीडीएफ मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।

साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 31.03.2018 तक समस्त कर्मचारियो/अधिकारियो चाहे वे सेवा निवृत्त हो या मृतक हो, उनका अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान संबंधित अंतिम तैनाती स्थल से (पूर्व मे प्रभावी व्यवस्था के अनुसार) किया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.2018 (वित्तीय वर्ष 2018-19) से लागू होगा।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष प्रशासनिक समिति

कार्यालय -प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि029-पार्क रोड,लखनऊ।

पत्रांक 4363/डी-1/एच/पीईआर/एफ0पी0/2017-18(984) दिनांक 22 मार्च 2018

प्रतिलिपि:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पीसीडीएफ की समस्त इकाईयां/दुग्ध संघ/परियोजनाओ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अर्जित अवकाश अंशदान माह अप्रैल 2018 से मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश के कियान्वयन का दायित्व संबंधित दुग्ध संघ/इकाई/परियोजना प्रभारी का होगा,जिस इकाई/दुग्ध संघ/परियोजनाओ से अंशदान की धनराशि प्राप्त नही होगी, उस संबंधित प्रभारी (वित्त)/प्रभारी के विरुद्ध बिना किसी अन्य सूचना के विभागीय जांच व्यवहरित कर दी जायेगी। उपरोक्त आदेश मे संदर्भित पूर्व आदेशांक 4129 दिनांक 11.09.2003 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित है।
2. प्रभारी,वित्त,पीसीडीएफ मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त मद मे प्राप्त धनराशि का उचित प्रबन्धन सुनिश्चित करे।

(राज कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक(प्रशा/कार्मिक)